

# उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय

सैफई, इटावा-206130

## Uttar Pradesh University of Medical Sciences

Saifai, Etawah (U.P.) - 206130

पत्रांक संख्या २५६ / उ०प्र०आ०वि०वि० / आवास / ( 61 ) / 2024-25 दिनांक 15 अक्टूबर, 2024

### कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या 241 / उ०प्र०आ०वि०वि० / आवास ( 61 ) / दिनांक 27.09.2024 को श्री अनित कुमार चीफ फार्मासिस्ट को टाइप -3 आवास संख्या जी०-102 आवंटित किया गया था। उक्त आवास को सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। श्री अनित कुमार को पूर्व आवंटित आवास यथावत आवंटित रहेगा। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

Sl.No.	Name	Post	Present House No.	Cancel Allotment	Employee ID
1.	Anit Kumar	Chief Pharmacist	Type-2 Accn No-205 Block-B Old Campus	Type-3 Accn No-102 Block-G New Campus	700484

कृपया उपरोक्त कार्मिक उक्त आवास की इन्वेन्ट्री तत्काल श्री धर्मेन्द्र कुमार, केयर टेकर, मेसर्स पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० से कराते हुए चाबी हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश मा० कुलपति महोदय से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

(के०बी० अग्रवाल)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
सदस्य सचिव-आवास आवंटन समिति

#### प्रतिलिपि :-

01. वित्त अधिकारी।
02. सहायक अभियन्ता, अनुरक्षण विभाग।
03. सी०ए०सी० विभाग को बेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
04. संबंधित पटल सहायक को संबंधित की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
05. श्री धर्मेन्द्र कुमार, वार्ड ब्वाय ( केयर टेकर ), मेसर्स पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० को निर्देशित किया जाता है कि पूर्व आवंटित आवास की सम्पूर्ण इन्वेन्ट्री गिनकर प्राप्त करें तथा चाबी अपने पास सुरक्षित रखें एवं आवास विभाग को इन्वेन्ट्री सूची की छायाप्रति उपलब्ध करायें। ( मोबाइल नं०-8376007704 )

(के०बी० अग्रवाल)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
सदस्य सचिव-आवास आवंटन समिति



कार्यालय आदेश

जैसा कि सभी कार्मिकों को अवगत है कि विश्वविद्यालय में यदि पति-पत्नी दोनों कर्मारत हैं तो ऐसे प्रकरण में नियमानुसार उन्हें एक ही आवास आवंटित किया जायेगा। यदि संज्ञान में आता है कि उक्त का उल्लंघन करते हुये तथा सत्यता को छुपाते हुये दो आवास आवंटित कराये गये हैं, तो सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के अनुसार इसे अनुशासनहीनता मानते हुये सम्बन्धित कार्मिक विभागीय कार्यवाही की जायेगी एवं Market Rate के अनुसार पैनल्टी लगायी जायेगी। एददद्वारा समस्त कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि यदि विश्वविद्यालय में किन्हीं कार्मिकों के द्वारा जो कि पति-पत्नी हों के द्वारा यदि दो आवास आवंटित करवाये गये हैं तो स्वतः उक्त की सूचना को आवास आवंटन कार्यालय में उपलब्ध कराते हुये एक आवास को निरस्त कराते हुये उक्त की सूचना संबन्धित अधिष्ठान को उपलब्ध करायें।

उक्त आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(के०बी० अग्रवाल)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
सदस्य सचिव-आवास आवंटन समिति

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. चीफ वार्डेन को सूचनार्थ।
2. मुख्य नर्सिंग अधीक्षिका।
3. निजी सचिव मा० कुलपति महोदय को अवलोकनार्थ।
4. निजी स्टाँफ को प्रति-कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
5. निजी स्टाँफ को कलुसचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
6. निजी स्टाँफ को चिकित्सा अधीक्षक महोदय के अवलोकनार्थ।
7. सी०ए०सी०विभाग को बेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।
8. समस्त नोटिस बोर्ड।

(के०बी० अग्रवाल)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
सदस्य सचिव-आवास आवंटन समिति